क्रम–संख्या– 130

रजि0 नं0 जी0/11/लाई0
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स ट पोस्ट एण्ड कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 15 जून, 2007
ज्येष्ठ 25, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 869/79-वि-1-07-02-(का)16-2007
लखनऊ, 15 जून, 2007

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2007) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। :-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2007)

(भारत गणराज्य के अठान्नवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूकिं राज्य विधान मण्डल सत्र मे नही है, और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है। कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव अब संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम

1- यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 कहा जायेगा।

राष्ट्रपति अधिनियिम संख्या-1 सन् 1996 की धारा 3 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 3 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :-

(3) आयोग मे प्रतिष्ठा योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे।

परन्तु यह कि सोलह सदस्य, जिनमें अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है, पिछड़े वर्गो के होंगे।''

धारा-4 का संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 4 में -

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात :-

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिये पद धारण करेंगे।

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य इस रूप में राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थातः-

(6) (क) अध्यक्ष को राज्यमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी :-

(ख) उपाध्यक्ष को राज्य के उप मंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी।

टी0 वी0 राजेश्वर
राज्यपाल
उत्तर प्रदेश

आज्ञा से
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव